झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

रांची, दिनांक.......... अप्रैल, 2011

संख्या :— 3/नियुक्ति—002/2010 का॰......................../ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के अधिसूचना संख्या — 4619, दिनांक 02 अगस्त, 2010 द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 गठित की गई है। उक्त नियमावली के नियम — 7 (2) में प्रावधान है कि झारखंड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के नियमित पदों के 50% पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे।

2. उक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :—

(A) ***प्रथम पत्र*** — इस पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी तथा पूर्णांक 100 अंक होगा।

(i)	हिन्दी टिप्पण	—	20 अंक
(ii)	हिन्दी में प्रारूपण	—	20 अंक
(iii)	संक्षेपण	—	20 अंक
(iv)	हिन्दी अनुच्छेद से अंग्रेजी अनुवाद	—	20 अंक
(v)	अंग्रेजी अनुच्छेद से हिन्दी अनुवाद	—	20 अंक

(B) ***द्वितीय पत्र*** — इस पत्र की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे :—

(i) सचिवालय अनुदेश

(ii) असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली

(iii) आरक्षण प्रावधान से संबंधित राज्य सरकार के नीति—निर्देश

(iv) प्रोन्नति से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन, उसके कार्य एवं अधिकार

(v) कार्यपालिका नियमावली

(vi) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

(vii) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के विभागीय कार्यवाही संचालन एवं दण्ड अधिरोपण से संबंधित प्रावधान।

(viii) झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली

(ix) बजट हस्तक (Budget Manual)

(C) ***तृतीय पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि भी तीन घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(i) झारखंड सेवा संहिता

(ii) झारखंड पेंशन नियमावली

(iii) सामान्य भविष्य निधि नियमावली

(iv) झारखंड यात्रा भत्ता नियमावली

(v) झारखंड कोषागार संहिता

(vi) झारखंड वित्त नियमावली

(D) ***चतुर्थ पत्र*** – इस पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 अंकों के बहुविकल्पीय 100 प्रश्न पूछे जायेंगे :–

(i) **अंकगणित** – सामान्य अंकगणित से संबंधित प्रश्न।

(ii) ***सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान*** – इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास, भारत एवं झारखंड का भूगोल, झारखंड आंदोलन, समसामायिकी, खेल इत्यादि तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे।

(iii) ***भारत का संविधान*** – इसके तहत् संविधान का निर्माण एवं भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित प्रश्न होंगे।

(iv) ***लोक प्रशासन*** – इसमें संघ सरकार एवं प्रशासन, राज्य सरकार एवं प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोक सेवा से संबंधित प्रश्न।

(v) ***विकास*** – भारत एवं झारखंड के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रोजगारोन्मुख, शैक्षणिक विकास से संबंधित प्रश्न।

3. साथ ही प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आयोजित होने वाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण में इंटरमिडिएट स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

4. प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर भर्त्ती हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा उपर्युक्त कंडिका – 2 के पाठ्यक्रमानुसार कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें परिपत्र संख्या 10258 दिनांक 05.08.1991 के आलोक में न्यूनतम अहर्तांक सामान्य वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 32% होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ /रांची, दिनांक अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रति इस विभाग में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ /रांची, दिनांक अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची को झारखण्ड गजट संख्या–425, दिनांक 03.08.2010 की मूल प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 3/नियुक्ति–002/2010 का॰ 2092/रांची, दिनांक 25 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि–सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/11
सरकार के उप सचिव।